

संख्या— /V-2-2021-127(आ0) / 2015 टी0सी0-1

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 15 जनवरी, 2021

विषय: राज्य में CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) द्वारा प्रदत्त सुविधाओं में ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम को सम्मिलित किए जाने हेतु CSC के शुल्क निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1935/उडा-546/2020-21, दिनांक 23.12.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत लिए गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से Online Map Approval System में मानचित्र अपलोड व उपलब्ध कराये जाने की सुविधा हेतु निम्नानुसार शुल्कों के निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

क्रमांक	सेवा का नाम	CSC हेतु प्राविधानित शुल्क
1	पंजीकरण शुल्क	रु0 5.00
2	मानचित्र हेतु ऑनलाईन आवेदन किए जाने तथा मानचित्र आवेदन शुल्क लिए जाने हेतु शुल्क	रु0 10.00
3	दस्तावेजों को स्कैन कराये जाने हेतु शुल्क (यदि आवेदक द्वारा स्वयं दस्तावेज लाये जाते हैं तो यह शुल्क नहीं लिया जायेगा)	रु0 10.00
4	आवेदन/दस्तावेजों पर आपत्ति निस्तारण भुगतान/ चालान में सम्बन्धित कार्य/अन्य कोई भी दस्तावेज अपलोड कराये जाने हेतु शुल्क	रु0 10.00
5	स्वीकृत मानचित्र व स्वीकृति पत्र CD में आवेदक को उपलब्ध कराये जाने हेतु शुल्क	रु0 15.00



संयुक्त मुख्य प्रशासक

अपर मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण
देहरादून

भवदीय,


(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या- 100 /V-2-2020-127(आ0)/2015 टी0सी0-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 3- उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
- 4- उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 5- निदेशक, आई0टी0डी0ए0, आई0टी0 पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
- 6- अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 7- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव।